

**न्यायालय-मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं०:-117/2010**

**CIS NO. TS 127/2019**

कंचन देवी.....वादिनी

बनाम

रितेश कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<b>DATE</b>	<b>ORDER</b>	<b>REMARKS</b>
<b>20.09.2024</b>	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादिनी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 12.01.2024 संबंधित धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।</p> <p><b>आदेश (ORDER)</b></p> <p>वादिनी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.01.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादिनी ने अपने दावे के समर्थन में दिनांक 24.05.2014 को बयनामा दस्तावेज दिनांक 02.07.1991 सवालिया बिहारी मिश्र बनाम अवधेश कुमार मिश्र का मूल दस्तावेज दाखिल किया गया है। जिसे उचित निर्णय हेतु वादिनी की ओर से प्रदर्श अंकित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त दाखिल दस्तावेज की मूल प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। इसके लिए वादिनी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगी।</p> <p>प्रतिवादी सं०-03ए एवं 03बी की ओर से वादिनी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 08.05.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि वादिनी का आवेदन कानून एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोण से परिपालनीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादिनी द्वारा अपने साक्ष्य के दौरान बयनामा दस्तावेज को साबित नहीं किया गया है तथा अपने साक्ष्य में इस दस्तावेज के बारे में मौन रहीं है। अतः आवेदन खारिज किया जाय।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख उपस्थिति हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता</p>	

**न्यायालय-मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं०:-117/2010**

**CIS NO. TS 127/2019**

कंचन देवी.....वादिनी

बनाम

रितेश कुमार मिश्र एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p><b>लगातार 20.09.2024</b></p>	<p>को रोका जा सके। वादिनी द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में वादिनी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 12.01.2024 को मो०-1000/- रुपये हर्जे पर स्वीकार करते हुये दाखिल दस्तावेज ग्रहण कर प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें।</p> <p>आगामी दिनांक 30.10.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित</p> <p style="text-align: center;">मुंसिफ नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	---	--